

(ख) एस० आर० ओ० संख्या 423/65 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6000/66।]

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित गृह-व्यूर टाउनशिप अधिनियम, 1961 की धारा 6 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) एस० आर० ओ० संख्या 136/65 जो दिनांक 30 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ख) एस० आर० ओ० संख्या 15/1966 जो दिनांक 25 जनवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6001/66]

वार्षिक योजना 1966-67

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : मैं वार्षिक योजना 1966-67 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6002/66]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENTS ASSENT TO BILLS

सचिव : श्रीमन, मैं चालू अधिवेशन में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये निम्न पांच विधेयक, जिन पर 1 अप्रैल, 1966 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा पटल पर रखता हूँ :—

- (1) विनियोग विधेयक, 1966
- (2) विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1966
- (3) विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1966
- (4) केरल विनियोग विधेयक, 1966
- (5) केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1966

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : PRIME MINISTER'S VISIT ABROAD

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को मालूम है मैंने राष्ट्रपति जॉन्सन के निमंत्रण पर 28 मार्च से 1 अप्रैल तक संयुक्त राज्य अमेरिका का सरकारी तौर पर दौरा किया। रास्ते में मैं पेरिस रुकी, जहाँ मैंने राष्ट्रपति द गाल और प्रधान मंत्री फाम्पीद्र से मुलाकत की। वापसी पर लन्दन में मैं थोड़ी देर ठहरी, जहाँ मैंने प्रधान मंत्री विल्सन से भेट की। मैं मास्को में भी रुकी जहाँ मैंने चेयरमन कौसीजिन से बातचीत की।

[श्रीमती इंदिरा गांधी]

पेरिस में मेरा बड़ा सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्वक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति दगाल ने हमारी आर्थिक समस्याओं में गहरी दिलचस्पी दिखाई और मुझे विश्वास दिलाया कि फ्रांस की सरकार और जनता इन समस्याओं को हल करने में सहायता देने को बहुत इच्छुक हैं। विशेष रूप से फ्रांस की सरकार हमारे दोनों देशों के बीच और अधिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग का विकास करने में सहायता देने के लिये तैयार है। फ्रांस के तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल इस उद्देश्य से जल्द ही भारत का दौरा कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति से मेरी जो बात चीत हुई उससे यह प्रकट हुआ कि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में हमारी स्थिति परस्पर समझी गयी और बहुत सी समस्याओं पर फ्रांस और भारत पर्याप्त रूप से सहमत हैं। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति दगाल से मेरी मुलाकत से हमारे दोनों देशों के निकट और मित्रतापूर्ण सम्बन्ध और भी अधिक मजबूत होंगे।

राष्ट्रपति जौन्सन से हुये वार्तालाप की खास बातों की और अमरीका के दौरे का मुझे पर जो प्रभाव पड़ा उसकी चर्चा करने से पहले मैं इस मौके पर रुदन को बता देना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति जौन्सन और अमरीकन जनता ने मेरा कितना प्रेमपूर्वक और मैत्रीपूर्ण सत्कार किया और कितना शिष्टाचार प्रदर्शित किया। इसके लिये मैं उनको निष्ठापूर्वक धन्यवाद देती हूँ। मैंने राष्ट्रपति जौन्सन और उनके सहकारियों से मुकम्मिल और खुल कर बात चीत की और हमारी बात चीत का मोटे तौर पर जो सारथा वह उस सम्मिलित विज्ञप्ति में दिया गया है जो दौरे के अन्त में जारी की गई थी। इस विज्ञप्ति की एक प्रति सभापटल पर रखी है। मुझे शायद संक्षेप में उस सामान्य भावना की चर्चा कर देनी चाहिये जिसमें हमारी वार्ता हुई। आज कल के तेजी से बदलते हुए संसार में ऐसी मुलाकतें उन दोस्तों के बीच भी आवश्यक हैं जिन के बहुत से मूल्य उभयनिष्ठ हैं। हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से यह था कि परस्पर निकट सम्बन्ध स्थापित किये जायें और एक दूसरे को समझा जाय न कि यह कि हम आपस में एक दूसरे को परामर्श दें अथवा कृपाकांक्षा करें। मुझे विश्वास है कि इसमें हम पूरी तरह सफल हुए। इस सफलता का कारण बहुत कुछ यह था कि हमने अपना कार्य पूरी तरह से स्पष्टता और परस्पर विश्वास के साथ किया। हमारी बात चीत का दायरा बहुत बड़ा था। अपनी जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा करने के लिये हम जो बड़े प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें राष्ट्रपति जौन्सन ने समझा और उनकी सराहना की। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार को इस बात में गहरी दिलचस्पी है कि विश्व बैंक के अंतर्गत हमारी योजनाओं के लिए बाहरी सहायता एकत्र करने के हेतु कुछ वर्षों से जो आपसी सहयोग चल रहा है उसमें अपना पूरा योग दे कर उक्त सरकार विकास की वृद्धि के हमारे प्रयत्नों में हमारी सहायता जारी रखे।

खाद्य सामग्रियों की हमारी आपत्कालिन आवश्यकताओं के सम्बन्ध में राष्ट्रपति जौन्सन ने हमारी बात चीत के फौरन बाद में अमेरिका की कांग्रेस को एक आवश्यक शीघ्र सन्देश भेजा, जिसमें उदारतापूर्वक और अधिक मात्रा में अनाज कपास तथा अन्य कृषि सामग्रियों के संभरण के लिये कांग्रेस की स्वीकृति मांगी। उक्त सन्देश हमारी आर्थिक उन्नति और मौजूदा समस्याओं को ध्यान में रखकर दिया गया था। मुझे विश्वास है कि अमेरिका की कांग्रेस ने जिस शीघ्रता से इस पर कार्यवाही की उस के लिये सराहना व्यक्त करने में रुदन मुझ से सहमत होगा। भारत की खाद्य समस्या पर हुई बात चीत के दौरान यह प्रकट हुआ कि राष्ट्रपति जौन्सन ने भी हमारे उन प्रयत्नों को जो हम अपने लिए कर रहे हैं तथा उन सम्भावनाओं को जो खेती की पैदावार बढ़ाने की हमारी योजनाओं में हैं और उन कार्यक्रमों को जो आबादी की वृद्धि रोकने के लिए हमने लागू किये हैं, समझा और उनकी सराहना की।

खेतों और कारखानों में नई शिक्षण तकनीको का विकास करने में मदद देने के लिए विज्ञान की उन्नति करने के लिए और अनुसन्धान की सुविधाएं बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ने एक भारत-अमरीकन फाउन्डेशन की स्थापना की घोषणा की। वास्तव में ऐसे प्रस्ताव पर कुछ समय से विचार किया जा रहा था और उसपर सरकार ने लगभग एक वर्ष पहिले स्वीकृति दे दी

थी। फ़ाउन्डेशन का कार्य इस तरीके से होगा जो भारत सरकार की शैक्षणिक योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुकूल हो और इसका उद्देश्य आर्थिक दशा और राष्ट्रीय हित को समुन्नत करना होगा।

जैसा सदन को मालूम है हम बाहरी मदद को अपने नीजि प्रयत्नों की सहायता करने के केवल एक साधन के रूप में और कम से कम समय में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये एक सहायता के रूप में देखते हैं। हमारी बातचीत के दौरान राष्ट्रपति जॉन्सन ने बार बार कहा कि अमरीका हमें जो मदद देता है वह भी उसे हमारे स्वावलम्बन की वृद्धि तथा हमारी नीतियों और योजनाओं में बिना हस्तक्षेप किये, शीघ्र हमारी आत्म निर्भरता की वृद्धि करने की भावना के रूप में देखता है।

बातचीत के दौरान भारत के पाकिस्तान से सम्बन्धों की चर्चा हुई। जो मुसीबतें पैदा की गयी हैं उन के बावजूद ताशकन्द भावना के अनुरूप पाकिस्तान से अधिक मित्रतापूर्वक सम्बन्ध बढ़ाने की भारत की इच्छा को मैंने दोहराया। हम इस बात पर सहमत हुए कि ताशकन्द घोषणा से जिन शान्तिपूर्ण तरीकों की शुरुआत हुई है उन्हें जारी रखना चाहिये। राष्ट्रपति जॉन्सन ने ताशकन्द घोषणा के लिये अपना प्रबल समर्थन प्रकट किया और यह इच्छा प्रकट की कि भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रता होनी चाहिये। चीन के आक्रमक मन्सूबों और तरीकों से भारत की सुरक्षा के लिए खतरे की भी चर्चा हुई। किसी भी खतरे के विरुद्ध चाहे वह कहीं से भी हों, अपनी स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करने के अपने इरादे को दोहराने के अतिरिक्त मैंने इस बात पर जोर दिया कि चीन की लम्बी चुनौती उतनी ही राजनैतिक और आर्थिक है जितनी कि वह फौजी है। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि गणतन्त्रात्मक समाजवाद के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये भारत के बृहद् प्रयत्न और विकास के क्षेत्र में उपलब्धियाँ स्थिरता की दशा में स्वयं शांति के लिये महत्वपूर्ण योगदान है।

वियतनाम की स्थिति पर संक्षेप से बातचीत हुई। मैंने इस बात को दोहराया कि इस समस्या का एक न्यायपूर्ण और शान्तिपूर्ण हल देखने की भारत की इच्छा कायम है।

मैंने राष्ट्रपति और श्रीमती जॉन्सन को भारत आने का निमन्त्रण दिया है और राष्ट्रपति ने यह आशा प्रकट की है कि उनके लिये फिर से भारत आना सम्भव हो सकेगा।

न्यूयार्क में राष्ट्रसंघ के सेक्रेटरी जनरल यूथांट से मेरी एक लाभदायक मुलाकत हुई और मैंने इस अवसर पर अफरीकी एशियाई दल में भाषण दिया।

राष्ट्रपति जॉन्सन और उनके सहकारियों से मेरी जो बातचीत हुई उस के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमरीकी में उतने दौरे के समय मुझे विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत से प्रसिद्ध अमरीकी नागरिकों से मिलने और विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने कश्मीर पर अपने दृष्टिकोण को और उसके व्यापक अर्थों को दोहराया। मेरा विचार है कि इन सम्पर्कों से अमरीकी जनता को हमारे दृष्टिकोण को और अच्छी तरह समझने में मदद मिली है।

संयुक्त राज्य अमरीकी से लौटते समय लन्दन में प्रधान मन्त्री विल्सन से मेरी मुलाकत हुई। हमारी बातचीत कई विषयों पर हुई। और यह बातचीत मित्रतापुण वातावरण में हुई। इस बातचीत के परिणाम स्वरूप भारत की स्थिति अधिक अच्छी तरह समझी गई है। श्री विल्सन ने अन्य देशों की तरह, जितनी जल्द हो सके भारत को अधिक आर्थिक सहायता देने के लिये शीघ्र कदम उठाने पर जल्द विचार करने के लिये ब्रिटिश सरकार की तत्परता प्रकट की। मैंने श्री विल्सन को भारत आने का निमन्त्रण दिया है और उन्होंने इस निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया है।

[श्रीमती इंदिरा गांधी]

मास्को में चेचेरमैन कोसिजिन से एक बहुमूल्य विचार विमर्ष हुआ जिसके दौरान हमने अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिका और विशेष रूप से ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद की घटनाओं का पुनरावलोकन किया। जैसा कि सदन को मालूम है, पिछले बहुत से वर्षों से आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में भारत-सोवियत सहयोग में लगातार वृद्धि हुई है। कई योजनाएँ इस समय रूसी सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं और इन योजनाओं की सूची में बिल्कुल हाल में बोखारों का इस्पात कारखाना भी शामिल किया गया है। सोवियत संघ का हमारी चौथी योजना में मित्रता-पूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण रूप से दिलचस्पी लेना जारी है और मास्को में अपने वातालाप के दौरान हम इस बात पर सहमत हुए कि इस सम्बन्ध में हमारी जो प्रारम्भिक बातचीत हुई है उसे तेजी से जारी रखा जाय।

चेचेरमैन और श्रीमती कोसिजिन ने इस वर्ष बाद में भारत में आना स्वीकार कर लिया है। इससे हमारे दोनों देशों को आपसी मित्रता और सद्भावना के सम्बन्धों को सुदृढ़ करने का एक और सुअवसर प्राप्त होगा।

जबकि सदन का अधिवेशन हो रहा हो और हमें यहां बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना है तब मैं किसी थोड़े से समय के लिए भी भारत से दूर नहीं रहना चाहती थी, किन्तु जैसा कि सदन मानेगा हमारे कार्य आवश्यक होने के बावजूद और अन्य राष्ट्रों की हमारे प्रति अन्तर्निहित मित्रता के बावजूद कभी कभी उन देशों के, जिन के साथ हमने सहयोग तथा एक दूसरे को समझने के घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किये हुए हैं, नेताओं से निजी सम्पर्क करना आवश्यक है। मुझे पूरी आशा है कि मेरे इस विदेश दौरे के दौरान हुए वातालाप से न केवल से इन्हीं देशों के साथ—वरन् अधिक व्यापक राष्ट्र-कुल में भी—हमारी मित्रता और सहयोग के हित की वृद्धि होगी।

अध्यक्ष महोदय, अपने दस दिवसीय दौरे में मैंने भारत के प्रति बहुतायत से मित्रता तथा सद्भावना पायी तथा यह देखा कि भारत की विदेश-नीति के महत्व को और विकास के हमारे प्रयत्नों को अधिकाधिक समझा जा रहा है। मित्रता का इन व्यंजनाओं से हम संतोष और बल प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि भारतीय जनता के कठिन और दृढ़ संकल्प से किये गये परिश्रम और बलिदान का स्थान और कोई वस्तु नहीं ले सकती। संसार के राष्ट्र भारत के प्रयोग पर नजर लगाये हुए हैं और वे हमारे अपने प्रयास और त्याग की भावना के अनुरूप हमारा मान करेंगे तथा सहायता देने के लिए तैयार होंगे। यह वह काम है जिसमें—पहले की भांति—अब हमें इस निष्ठा और विश्वास के साथ जुट जाना है कि हमारी जनता में भारत के भाग्य का निर्माण करने की क्षमता है। धन्यवाद, महोदय।

श्री रंगा (चित्तूर) : अब चूंकि माननीय प्रधान मंत्री अपने विदेश के दौरे से वापस आ गई हैं, सभा को उनकी सफलता का मूल्यांकन करना चाहिये। मैंने किसी अन्य अवसर पर किसी अन्य देश के किसी प्रमुख व्यक्ति को इतने महत्वपूर्ण दौरे पर जाते समय मंत्रिमण्डल के सम्बद्ध सदस्यों को साथ न ले जाते हुये नहीं देखा है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय हर प्रकार के वक्तव्य नहीं दिये जा सकते। माननीय सदस्य स्पष्टीकरण करा सकते हैं।

श्री रंगा : क्या यह तथ्य नहीं है कि खाद्यान्न सम्बन्धी सहायता जारी रखने तथा सद्भावना दिखाने के कार्य के अतिरिक्त हमारे प्रधान मंत्री ने आर्थिक सहायता तथा विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में कोई ठोस सुझाव नहीं रखे हैं और न राष्ट्रपति जौनसन ने ही कोई आश्वासन दिया है कि वह इन सब बातों को विश्व बैंक तक पहुंचा देंगे? विश्व बैंक को इस सम्बन्ध में पता है परन्तु हमारे पास विश्व बैंक की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है हालांकि विश्व बैंक ने हमारे देश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न इतनी देर तक चलेगा तो

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ । सभा की प्रक्रिया सम्बन्धी जो नियम है उनके अन्तर्गत इस प्रकार के भाषण अथवा वक्तव्य मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त नहीं हो सकते हैं । इस बारे में नियम संख्या 372 है जिसके अन्तर्गत मंत्री ही वक्तव्य दे सकता है । इसमें यह भी कहा गया है कि जब इस प्रकार का वक्तव्य हो तो कोई प्रश्न नहीं उठाये जा सकते । अन्य वक्तव्यों के लिये उसमें कोई उपबंध नहीं है । जहां तक चर्चा का सम्बन्ध है नियम संख्या 184 के अन्तर्गत लोक हित के विषय पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा उठाई जा सकती है । इस नियम में निश्चित रूप से कहा गया है कि :

“संविधान या इस नियमों के अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक-हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी ।”

अध्यक्ष महोदय : कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि नियमों के अन्तर्गत ऐसे वक्तव्यों पर चर्चा नहीं उठाई जा सकती है परन्तु चूंकि ऐसी प्रथा रही है स्पष्टीकरण की अनुमति दी जा सकी है जसी कि दो जाती रही है । प्रधान मंत्री ने अभी वक्तव्य दिया है और अब प्रत्येक सदस्य को अपना-अपना वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : इन रियायतों से सभा के बनाये हुये नियमों में निहित शिष्टता की भावना नष्ट हो गई है । मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि पुनर्विलोकन किया जाये और इस प्रकार की चर्चा को बन्द कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ दिनों पहले मैंने इस मामले को विनिश्चित किया था ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Under rule 355, a member means any member of the House, including the Minister, I will read the rule.

Mr. Speaker : I have read the rule. Shri Madhu Limaye has read out this rule on several occasions. You may not say about your point.

Dr. Ram Manohar Lohia : Under this rule, any member can ask questions for clarification of “another member” including the Prime Minister and other ministers. Hence Shri Ranga has full right to ask a question under rule 355.

Mr. Speaker : I do not agree with this. I have given rulings on this matter two or three times in the past also. Under this rule, Honourable members can put questions but through the speaker. No honourable member can address any other honourable member direct. This rule does not apply to a minister. It applies to those who are chairman of Committees. It also applies when specific information has to be obtained from an honourable member. I do not think there is any necessity of difference of opinion on this matter now. Shri Ranga may now put question.

श्री रंगा : क्या प्रधान मंत्री ने “बीमेन्स इन्टर्नेशनल लीग फार पीस एण्ड फ्रीडम” के ज्ञापन पर यह लेख कर हस्ताक्षर किये थे कि विएतनाम में अमरीकन नीति के कारण जो अमरीका का जो सम्मान घट रहा है उसको पुनः स्थापन किया जायेगा । क्या प्रधान मंत्री ने अभी तक इस का स्पष्टीकरण किया है अथवा नहीं ? क्योंकि इस पर उन्होंने उस समय हस्ताक्षर किये थे जब वह सूचना तथा प्रसारण मंत्री थी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे दृष्टिकोण के बारे में भारत तथा अमरीका में सब को पता है और उसको संसार के किसी भी स्थान में स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है । राष्ट्रपति जानसन तथा अमरीका की जनता को पता है कि हम विएतनाम में शान्ति चाहते हैं । अपने दौरे के परिणाम के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि शायद माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इसे सभा में मैंने बार बार कहा था कि

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

मैं सहायता प्राप्त करने के लक्ष्य से नहीं गई थी। मैं विशेषतया विभिन्न देशों के राजाध्यक्षों के बीच व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने के लिये बाहर गई थी। भविष्य में यदि हमें सहायता की आवश्यकता होगी तो भी यह सम्पर्क अच्छे सिद्ध होंगे।

श्री रंगा : प्रधान मंत्री ने अपने साथियों की कोई सहायता नहीं ली थी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जाने से पहले मैंने अपने साथियों से परामर्श कर लिया था। यह संसद का बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन था अतः यह संभव नहीं था कि मंत्रीमण्डल के अधिक सदस्यों को साथ ले जाया जाता। हमारी आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों को काफ़ी लाभ हुआ है। इसका समर्थन सारा देश करता है, चाहे श्री रंगा इस का समर्थन करें अथवा नहीं।

श्री दाजी (इन्दौर) : माननीय प्रधान मंत्री के दो वक्तव्यों ने बड़ी शंका उत्पन्न कर दी है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि चीन से मुख्यतया राजनैतिक खतरा है और वह विएतनाम में अमरीकन हितों तथा इरादों से सहानुभूति रखती है। मैं इन दो वक्तव्यों का स्पष्टीकरण कराना चाहता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने कहा था कि चीन से हमें केवल सामरिक खतरा ही नहीं है बल्कि भारत के सम्पूर्ण आदर्शों को खतरा है। भारत तथा चीन में जो आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में पद्धतियों हैं वह एक-दूसरे से भिन्न हैं। हमारे यहां लोकतंत्रात्मक प्रणाली है।

विएतनाम में अमरीका के जो लक्ष्य तथा हित हैं उनसे मेरा मतलब है कि हम विएतनाम में राष्ट्रपति जौनसन के शान्ति लिये सच्चे प्रयत्नों का सम्मान करते हैं।

श्री हेम बहआ : यह देखते हुए कि मित्रों विद्रोहियों को अस्त्र-शस्त्र दे कर, राजस्थान और पंजाब की सीमा पर सेना का जमाव करके अपने हाथियारों में चीन से मंगाये हुए हथियारों द्वारा वृद्धि करके तथा कश्मीर के बारे में ताशकंद समझौते के बावजूद भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण व्यवहार रख कर पाकिस्तान जान-बूझ कर ताशकंद घोषणा को भंग कर रहा है, क्या हमारे प्रधान मंत्री ने रूस के प्रधान मंत्री को इस सम्बन्ध में सूचित किया है? साथ साथ "प्रावदा" ने यह समाचार प्रकाशित किया है कि रूस के प्रधान मंत्री ने ताशकंद घोषणा के बारे में पाकिस्तानी अधिकारियों को तथ्यों से अवगत करा दिया है। क्या प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में भी रूस के प्रधान मंत्री से बात चीत की है? यदि हां, तो रूस के प्रधान मंत्री द्वारा पाकिस्तानी, अधिकारियों को भेजे गये पत्र की क्या प्रक्रिया हुई है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस सम्बन्ध में श्री कोसिजिन से बात-चीत हुई थी और जैसा कि स्वयं माननीय सदस्य ने कहा है, उन्होंने इस बारे में पाकिस्तान से बात-चीत करने के लिये किसी को भेजा है। मुझे नहीं मालूम कि इस बात-चीत का क्या परिणाम निकला है।

Shri Bade (Khargone) : Did the honourable Prime Minister during her stay in the U.S.A., say that China had manufactured atome bomb? If so, what was their reaction? Did she also have a talk with the British Prime Minister regarding British propaganda against India during the recent Indo-Pak Conflict? What did the British Government say?

Shrimati Indira Gandhi : Yes, I had a talk with Prime Minister Wilson. He told me that it was due to some misunderstanding that such a propoganda was made against India.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या माननीय प्रधान मंत्री यह बतायेंगी कि पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द घोषणा को बराबर भंग किये जाने के सम्बन्ध में अमरीका का क्या रुख है? क्या ऐसी आशा है कि अमरीका भारत को हथियार सम्बन्धी सहायता पुनरारंभ करेगा?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस सम्बन्ध में बात चीत हुई थी । ताशकंद घोषणा को भंग किये जाने पर अमरीकी अधिकारी प्रसन्न नहीं हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farruckhabad) : The honourable Prime Minister has just said that she would appreciate the ideas of President Johnson regarding the Vietnam problem. The joint communique also says that President Johnson wants to maintain peace and independence in Viet Nam. Did the honourable Prime Minister had any talks with the U.S.S.R. Prime Minister ? If so, why any joint communique was not issued this time ?

Shrimati Indira Gandhi : I had an informal meeting with him. I had stayed in Moscow for a very short period and the question of issuing joint communique does not arise at all.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : Did the honourable Prime Minister also had any exchange of views with President Johnson on the question of a plebiscite in Kashmir ? If so, have their stand since changed or it is still the same as was before ?

Shrimati Indira Gandhi : I had communicated to him the opinion of our Government and that of our people and told him that a plebiscite was not possible in Kashmir ?

श्री कण्डप्पन (तिरुचेगोड़) : क्या माननीय प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति डिगाल से बात-चीत के दौरान विएतनाम के बारे में कोई चर्चा की थी और क्या चीन और पाकिस्तान के बीच सैनिक साठ-गांठ बारे में भी कोई चर्चा हुई थी ? यदि हां, तो राष्ट्रपति डिगाल की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति डिगाल से बात चीत हुई थी और उनके विचारों के बारे में सभा को पता है । चीन और पाकिस्तान की साठ-गांठ के सम्बन्ध में उन्होंने कोई विचार प्रकट नहीं किये ।

Dr. Ram Manohar Lohia : So the talks were held on old and backneyed issues.

समितियों के लिये निर्वाचन

ELECTIONS TO COMMITTEES

(1) प्राक्कलन समिति

श्री अ० चं० गुहा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित नीति से, 1 मई 1966 से अरम्भ होने वाली अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से तीस सदस्य चुनें”।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई 1966 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से तीस सदस्य चुनें ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ / *The motion was adopted.*